

ढाक □ बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने 1971 के युद्ध अपराधी और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी नेता दलिवार हुसैन सईदी की मृत्युदंड की सजा को यह कहते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया कि उसे अब 'मौत तक' जेल में रहना होगा □

प्रधान न्यायाधीश □ म मुजम्मिल हुसैन ने खचाखच भरी अदालत में हैरान करने वाला फैसला सुनाया, “उन्हें मौत तक जेल में रहना होगा □”

हुसैन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने बहुमत में मेजर टी व्यू से फैसले की घोषणा की लेकिन यह नहीं बताया कि कितने न्यायाधीशों की सईदी की सजा पर अलग राय थी □ पछिले साल फरवरी में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें मौत की सजा सुनायी थी □

न्यायाधिकरण के फैसले से देश के इतिहास में घातक राजनीतिक हिसा फैल गयी थी □ जमात के शीर्ष नेता ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति का वरिध करते हुए पाकिस्तानी जुंटा का साथ देते हुए अल बद्र अल शम्स जैसे मलिशिया गुट की शुरुआत की थी □

न्यायाधिकरण ने सईदी को छह प्रमुख आरोपों का गुनाहगार माना, जबकि शीर्ष अदालत ने हत्या, बलात्कार और कई हद्दियों के जबरन इस्लाम कबूलवाने के तीन आरोपों को सही माना लेकिन नरसंहार के आरोपों से मुक्त कर दिया □

त्वरित प्रतिक्रिया में अटार्नी जनरल महबुबे आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपील पीठ का फैसला उनके लिए 'नरिशाजनक' है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शीर्ष अदालत न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखेगी □

आलम ने कहा, “मेरी उम्मीद थी कि उनका मृत्युदंड बरकरार रहेगा, यह पूरा नहीं हो सका, इसलिए बुरा लग रहा है □”

उन्होंने कहा कि अब वह व्यापक विश्लेषण के लिए पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं □

आलम ने कहा कि फैसले ने सईदी की छवि को उजागर कर दिया है □ उन्होंने कहा, “इस्लाम कभी भी जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना जाने की अनुमति नहीं देता जैसा कि उन्होंने (सईदी) 1971 में किया □”

इस्लामी नेता के कब्रों ने कहा कि वे इंसानों से महारूम रह गए क्योंकि शीर्ष अदालत के 'मेरे पति को बरी कर देना चाहिए' था और हम चाहेंगे कि इसकी समीक्षा हो' लेकिन, आलम ने कहा कि युद्ध अपराध दोषियों के मामले में इस तरह के पुनर्विचार की कोई जगह नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर वहीं हिसा नहीं भेक उठे, इसलिये प्रशासन ने इससे पहले राजधानी और अन्य शहरों की रक्षा के लिए अर्द्धसैनिक बलों को बुला लिया था।

पछिले साल सईदी के मौत की सजा सुना जाने के बाद देश के विभिन्न शहरों में जमात कार्यकर्ताओं की हिसा में पुलिसकर्मियों सहित करीब 100 लोगों की मौत हो गयी थी।

इससे पहले बचाव पक्ष के मुख्य वकील खोंडकर महबुबुद्दीन ने दावा किया कि उन्होंने उल्लेख किया कि कगलत आदमी पर मुकद्दमा चलाया गया और उसे मौत की सजा सुनायी गयी। उन्होंने कहा कि सईदी नाम के क अन्य व्यक्ति ने 1971 के मुक्ति संग्राम में अत्याचार किया था।

(भाषा)